



आवेदन की तिथि 6/9/16
अधिसूचना की तिथि 17/11/16
निर्गत तिथि 21/11/16

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 2618 (11) / 2015-16

आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
--------	---------------------------------	-----------

14/3/16

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सुमार आलोक
 पिता/पति: सुम चरित पाण्डे साकिम श्रीमती सुम चरित पाण्डे
 थाना: खाराजपाड़ा जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।
 आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा खाराज
 मौजा नं० 06 खाता नं० 124 प्लॉट नं० 4375
 रकबा 4.12 सिंघार
 दलील सं० 8063 दिनांक 17/02/16 के
 द्वारा श्री/श्रीमती सुम शर्मा से
 प्राप्त किया है।

जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29/3/16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी धनबाद।

29/3/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -

- भूमि रैयती खाते की है।
- जमाबदी सं० 883 में विक्रेता के विक्रेता के नाम लगान से रसीद कट रहा है।
- आवेदक निर्बाधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।
- निबंधन धनबाद कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की सशि को कोषामार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है।
- प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।

शुद्धि पत्र प्राप्त किया

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी धनबाद।

अंचल अधिकारी धनबाद।

मेरे द्वारा फोटो कोपी किया गया 6/9/16

मेने मिलान किया सहायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि मनीष 30-01-2016 प्रधान सहायक अंचल कार्यालय धनबाद

प्रतिलिपिक / टंकक